अवैध न होकर प्रतिकूल कब्जा है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 स्वत: उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी वादीगण के साथ किसी भी प्रकार कोई लडाई झगडा नही किया।

6. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 6 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है उपरोक्त अराजीयात काबिल काश्त है उपरोक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 पिछले कई वर्षों से काबिज होकर चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा अपने उपयोग उपभोग में ली जा रही हैं। वादीगण द्वारा चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण का अनुतोष उक्त वादपत्र में कानूनन चलने योग्य नहीं है क्योंकि वादीगण ने केवल मात्र धारा 183 रा०का०अधि० के अन्तर्गत ही वादपत्र प्रस्तुत किया है।

7. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 7 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है। वादीगण ने दिनांक 23.05.2020 को बिनाय दावा उत्पन्न होना अंकित किया है जो कि गलत एवं झूठा हैं। वादिगण आज दिनांक तक उपरोक्त आराजीयात में कभी भी काश्त करने नहीं आये है न ही वादीगण को उक्त आराजीयात के संबंध में कोई पता है। प्रतिवादीगण संख्या द्वारा उक्त आराजीयात को उन्नत आबाद की गयी हैं। जिससे यह साबित है कि वादीगण ने झुठ बोलकर हकाई एवं बुआई हेतु भूमि पर आना बताया और वादीगण के साथ कभी भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दुर्व्यवहार नहीं किया ना ही कभी वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बाहर निकाला। उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं हैं तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

8. यह हैं कि वादपत्र की चरण संख्या 8 न्यायालय के क्षेत्राधिकार होने तक स्वीकार हैं अन्यथा सर्वथा गलत होकर अस्वीकार हैं।

9. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 9 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र अन्दर अवधि में प्रस्तुत नही है वादपत्र मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है।

10. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 10 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है।

11. यह हैं कि वादपत्र की चरण संख्या 11 सर्वधा गलत होकर अस्वीकार है वादी उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

विशेष कथन

(अ) यह है कि उक्त वादपत्र में वादीगण ने भूमिधारी तहसीलदार साहब को पक्षकार नहीं बनाया हैं। भूमिधारी तहसीलदार साहब उक्त वादग्रस्त आराजीयात के भूमिधारी हैं जिससे कि भूमिधारी तहसीलदार साहब वादपत्र में आवश्यक पक्षकार हैं। भूमिधारी तहसीलदार साहब को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने से वादपत्र चलने योग्य नहीं हैं। उक्त वादपत्र न्यायीक दृष्टि से काबिल खारिज हैं।

(ब) यह हैं कि वादीगण द्वारा चाही गयी स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण का अनुतोष उक्त वादपत्र में कानूनन न्यायोचित नहीं है क्योकि वादीगण ने केवल मात्र धारा 183 रा०का०अधि० के अन्तर्गत ही वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिस कारण वादीगण का वादपत्र काबिल खारिज है।

पत्रावली में तनकी कायम की गई। जो निम्नानुसार है।

01. आया वादीगण की ग्राम झोडोली पटवार हल्का सलावटिया में स्थित आराजी संख्या 145/4 रकबा 4–00 बीघा (0.6476 हैक्टेयर) भूमि के खातेदार हैं।

.....जिम्मेवादीगण

02. आया प्रतिवादी सं0 01 वादीगण की खातेदारी भूमि रकबा 1–00 बीघा (0.1619 हैक्टेयर) एवं प्रतिवादी नं0 2 ने 0.0810 हैक्टेयर पर अवैध अतिचार कर कब्जा कर लिया इनको बैदखल किया जावे, वादीगण कब्जा पाने का अधिकारी हैं।

.....जिम्मेवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

अपना अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने को तैयार नही है एवं वादग्रस्त आराजी पर विधि विरूद्ध रूप से अवैध कब्जा कर रखा है। प्रतिवादीगण मौके पर लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने हेतु वादीगण के पास बेदखली का वादपत्र प्रस्तुत करने अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादीगण को सिपुर्द कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादीगण को वादकारण वादग्रस्त आराजी की दिनांक 23.05.2020 को पत्थरगढी कराई तब से उत्पन्न होकर सतत रूप जारी है।

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियां की सरहद मे स्थित खाता संख्या 148 पर अंकित आराजी नं० 145/4 रकबा 4–00 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01 को दक्षिण व पश्चिम दिशा की 1–00 बीघा भूमि से एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 को उत्तर दिशा की 0–10 बीघा भूमि से बैदखल किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादीगण को पुनः सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर पुनः कब्जा नहीं करें वादीगण को बेदखल नही करे। कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करें न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी 01 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया एवं विपक्षी संख्या वावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादी 01 ओम प्रकाश पिता भवाना जाति धाकड़ निवासी केसरपुरा की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्ननुसार हैं।

1. यह हैं कि वादपत्र की चरण संख्या 1 इस हद तक स्वीकार है कि वादीगण आराजी नम्बर 145/4 रकबा 4–0 बीघा के खातेदार हैं। अन्यथा वादपत्र की चरण संख्या 1 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर कभी काबिज ही नहीं रहे और न ही कभी काश्त की है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने पूर्वजो के समय से ही पिछले 40–50 वर्षों से काबिज होकर चले आ रहे हैं।

2. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 2 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है उपरोक्त अराजीयात काबिल काश्त हैं उपरोक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 पिछले कई वर्षों से काबिज होकर चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा अपने उपयोग उपभोग में ली जा रही है।

3. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 3 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है प्रतिवादीगण संख्या 1 का पूर्वजो के समय से ही उक्त आराजीयात पर विगत 40–50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा अधिकार चला आ रहा है। वादीगण उक्त भूमि पर कभी भी काश्त करने नहीं आये तो लडाई झगडा व मारपीट करने की बात ही उत्पन्न नहीं होती हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 उपरोक्त आराजीयात की भूमि में काबिज होकर शांतिपूर्ण ढंग से उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

4. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 4 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है उपरोक्त आराजीयात की वादीगण द्वारा दिनांक 23.05.2020 को पत्थर गढी करवाने का कथन किया है जो कि झुठा कथन हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में उक्त भूमि की पत्थरगढी कराई गयी है तथा भू अभिलेख निरक्षक द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 को पत्थर गढी बाबत किसी प्रकार की सुचना प्रेषित नहीं की गयी न ही न्यायालय से किसी प्रकार का कोई नोटिस सम्मन पत्थरगढी बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 को प्राप्त हुआ हो वादीगण ने मनमकसूद तरीके से फर्जी तरीके से पत्थरगढी कराई है जो कि कानून के विपरित है उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने पूर्वजो के समय से ही पिछले 40–50 वर्षों से निरन्तर काबिज होकर कब्जा चला आ रहा हैं।

5. यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 5 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है वादीगण कभी भी वादग्रस्त आराजीयात पर ना ही आये और ना ही कभी काश्त की है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 का कब्जा

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 44/2020 दायर तारीख 21.12.2020

अनवान्

01. बोथलाल पिता भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

02. सरजुदेवी पत्नि भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

03. रामकन्यादेवी पत्नि मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी (गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

4. लीलादेवी पत्नि मदनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामृगोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

02. शंभुलाल पिता भीमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/08/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री रामफूल धाकड़ वादपत्र **अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी कि ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियां की शरहद में स्थित खाता संख्या 148 पर अंकित आराजी नं0 145/4 रकबा 4–00 बीघा भूमि का वादीगण खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहे है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पडौसी है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार निहीत नहीं है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण को रहन या विक्रय नहीं की है परन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पडौसी होने से हकाई बुआई करते समय लडाई झगडा, मारपीट करने पर उतारू रहते है। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जब वादीगण आराजी संख्या 145/4 रकबा 4–00 बीघा पर काश्त करने गया तो वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं करने दी एवं लडाई झगडा करने व मारपीट करने पर उत्तारू हो गया व धमकी दी की तुम्हे फसल काश्त नही करने देगें। प्रतिवादीगण के कृत्य से परेशान होकर वादीगण ने पत्थरगढी आदेश प्राप्त किया। पत्थरगढी आदेश की कालना में दिनाक 23.05.2020 को वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी पटवार हल्का एवं भू०अ० निरीक्षक द्वारा मौके पर वादग्रस्त आराजी के निशानात कायम किये गये जिनको भी प्रतिवादीगण ने हटा दिये तथा वादीगण की वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 01 का दक्षिण एवं पश्चिम दिशा की ओर रकबा 0–00 बीघा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 02 का उत्तर दिशा की ओर रकबा 0–10 बीघा पर अवैध कब्जा पाया गया। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर बिना किसी विधिक अधिकार के अवैध कब्जा कर वादग्रस्त आराजी को अपनी आराजी में मिला लिया है। पत्थरगढी कराने के बावजूद भी प्रतिवादीगण

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/7/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/8/25 को वास्ते बहस/निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
13/8/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 18/8/25 को पेश हो।
18/8/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 25/8/25 को पेश हो।
25/8/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली में डिक्री पारित की गयी विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाए गए, एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

, अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

बनाम

किस्म मुकदमा 183 नम्बर 21/सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.2020	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 20/01/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
21/1/21	दिनांक 20.1.202 को अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकीलवादी उप.। प्रतिवादीगणों की समन बाद तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते गौर तलबी दि. 11.2.2021 को पेश हो।	
11/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादी सं.1 की ओर से अधि. ओमप्रकाशशर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं.2 को आवाज दिलाई गयी और हाजिर अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 4.3.21 को पेश हो।	
4/3/21	पत्रावली पे[illegible] अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्री[illegible] दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 25.3.21 वास्ते जवाब पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	